सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आषाढ़, 1941 (श०)

संख्या- 575 राँची, गुरुवार, 18 जुलाई, 2019 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

18 जुलाई, 2019

विषयः- **क्षतिपूरक वनरोपण हेतु सरकारी भूमि/गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) सहित के सशुल्क स्थायी हस्तांतरण से संबंधित सभी मामलों के निस्तार की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने के संबंध में।**

संख्या-5/स०भू० (लातेहार)-01/2010-2648/0-- विभागीय संकल्प संख्या-**5504,** दिनांक-**07.10.16** द्वारा अन्तर्विभागीय निःशुल्क भूमि हस्तांतरण से संबंधित सभी मामलों के निस्तार की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित किया गया है।

2. विभागीय संकल्प संख्या-**5888,** दिनांक-**10.11.16** की कंडिका-**7 (ii)** द्वारा भारत सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/प्रतिष्ठानों/निकायों तथा विभिन्न, निगम, बोर्ड, निजी कम्पनियां इत्यादि के लिए जहाँ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु सरकारी भूमि/गैरमजरूआ **Deemed Forest** (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि सशुल्क भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव है, ऐसे मामलों में गैरमजरूआ भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया की भाँति ही राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को प्रस्ताव गठित कर भेजे जायेंगे, जिन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त कर ही क्षतिपूरक वनरोपण हेतु सरकारी भूमि/गैरमजरूआ **Deemed Forest**

(जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि को वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को स्थायी रूप से हस्तांतरण की स्वीकृति दी जा सकेगी, प्रावधान किया गया है।

3. भारत सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/प्रतिष्ठानों/निकायों तथा विभिन्न निजी कम्पनियों, निगम, बोर्ड आदि को वन संरक्षण अधिनियम, **1980** के तहत् भारत सरकार के पत्र संख्या-**F No.-2-1/2003-FC,** दिनांक-**20.10.2003** द्वारा निर्गत मार्गनिर्देश के आलोक में क्षतिपूरक वनरोपण कार्य हेतु सरकारी भूमि/गैरमजरूआ **Deemed Forest** (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि को क्षतिपूरक वनरोपण हेतु स्वीकार किया जा सकता है। क्षतिपूरक वनरोपण (वानिकी कार्य) हेतु अधियाची निकाय द्वारा स्वयं के खर्चे पर राज्य सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को भूमि हस्तांतरण किया जाता है।

4. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु हस्तांतरित की जाने वाली सरकारी भूमि/गैरमजरूआ **Deemed Forest** (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि को स्थायी रूप से अधियाची निकाय द्वारा स्वयं के खर्चे पर राज्य सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को किया जाना है।

5. अतः उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-09.07.19 में मद संख्या-18 के रूप में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि -

"भारत सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/प्रतिष्ठानों/निकायों तथा विभिन्न निजी कम्पनियों, निगम, बोर्ड आदि को वन संरक्षण अधिनियम, **1980** के तहत् क्षतिपूरक वनरोपण कार्य हेतु सरकारी भूमि/गैरमजरूआ **Deemed Forest** (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सशुल्क स्थायी भूमि हस्तांतरण करने की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित किया जाता है।"

6. विभागीय संकल्प संख्या-**5888/**रा०, दिनांक-**10.11.16** को इस हदतक संशोधित समझा जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव,

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 575 -- 50